सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय,

जनपद महराजगंज।

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी प्रार्थिनी द्रोपती देवी पत्नी सुभाष साकिन शीशगढ़ टोला खरैटवा, थाना बरगदवा, जिला महराजगंज की स्थायी निवासिनी है। प्रार्थिनी के ससुर ने आईजीआरएस पर विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दिया था, जिसकी जांच करने के लिए दिनांक 21.03.2026 को बदगवा थाना के सिपाही व दरोगा जी आये थे और जांच करके चले गये। उसी रंजिश के कारण समय लगभग सायं 05 बजे मेरे ही गांव के रहने वाले रमेश मिश्रा पुत्र केशव मिश्रा, रीता मिश्रा पत्नी रमेश, सपना मिश्रा पुत्री रमेश मिश्रा, निर्भय मिश्रा पुत्र रमेश मिश्रा, गोरख मिश्रा पुत्र रमेश मिश्रा सभी लोग एक राय होकर हाथ में लाठी–डंडा लेकर गाली–गुप्ता देते हुए हम प्रार्थिनी को दौड़ा लिये। प्रार्थिनी जान बचाकर अपने घर में भागी। सभी लोग घर में घुसकर हम प्रार्थिनी को डंडे से मारने लगे। निर्भय मिश्रा ने कुल्हाड़ी से मारा। गोरख हसिया से मारा। रीता ईंट चलाकर मारी। सपना बाल खींच रही थी। जिससे हम प्रार्थिनी को काफी चोट आयी तथा सभी लोग मिलकर प्रार्थिनी का बलाउज फाड़ दिये तथा साड़ी खोल दिये, गोरख रमेश निर्भय तीनों लोग मिलकर मेरे साथ गंदी हरकत करने लगे। प्रार्थिनी शोर करने लगी। प्रार्थिनी का शोर सुनकर गांव के बहुत से लोग आये और बीच बचाव किये। इसी दौरान रीता और सपना ने हम प्रार्थिनी के गले का मंगलसूत्र और कान की बाली जबरिया छीन लिये। विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। प्रार्थिनी यूपी 112 को फोन किया। उसके पश्चात पुलिस आयी और साथ में एसएचओ बरगदवा भी आये। एसएचओ बरगदवा ने हम प्रार्थिनी को प्रार्थना पत्र देने के लिए बुलाया। प्रार्थिनी के घटना की लिखित सूचना थाने पर दिया। थानाध्यक्ष बरगदवा ने अभियुक्तों से मिलकर अभियुक्तों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से हम प्रार्थिनी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के

अनुरूप एफआईआर नहीं लिखा, बल्कि अपने मर्जी से प्रार्थना पत्र को बदलकर अपराध संख्या 18/26 अन्तर्गत धारा 115 (2), 351 (3), 352, 151 (2) में एफआईआर दर्ज कर लिया लेकिन प्रार्थिनी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुरूप एफआईआर नहीं लिखा। तब प्रार्थिनी ने दिनांक 23.03.2026 को प्रार्थिनी के साथ घटी घटना के अनुरूप एफआईआर लिखाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महराजगंज ने कहा कि आप लोग जाईये, सीओ नौतनवा जांच करेंगे, प्रार्थिनी को दिनांक 24.03.2026 को सीओ नौतनवा द्वारा सीओ आफिस बुलाया गया। प्रार्थिनी सीओ आफिस गयी। वहां पर सीओ नौतनवा ने जबरिया प्रार्थिनी से निशानी अंगूठा लगवा लिया तथा कहा कि हम कोई जांच नहीं करेंगे, थाने ने जो एफआईआर लिख दिया, वहीं बहुत है। अब कहीं मत जाना। इस प्रकार सीओ नौतनवा द्वारा श्रीमान पुलिस अधीक्षक महराजगंज के आदेश का अनुपालन भी नहीं किया गया। ऐसी दशा में प्रार्थिनी द्वारा श्रीमान को प्रार्थना पत्र दिया जा रहा है। प्रार्थिनी के साथ घटी घटना के अनुरूप दौरान विवेचना एसपी महराजगंज से किसी अन्य सीओ से धाराओं का बढ़ोत्तरी कराया जाना आवश्यक है। वर्तमान समय में विपक्षीगण प्रार्थिनी के दरवाजे पर नित्य प्रति कूड़ा फेंक रहे हैं तथा प्रार्थिनी का जीना मुश्किल कर दिये हैं।

अतः प्रार्थना है कि सीओ नौतनवा के अतिरिक्त किसी अन्य सीओ से दौरान विवेचना प्रार्थिनी के साथ घटी घटना के अनुरूप दौरान विवेचना धाराओं का बढोत्तरी कराने की कृपा करे।

दिनांक 09.04.2026

प्रार्थिनी

द्रोपती देवी पत्नी सुभाष साकिन शीशगढ़
टोला खरैटवा, थाना बरगदवा, जिला
महराजगंज

मो0नं0–9119943518

संदर्भ संख्या : 40018726006833 , दिनांक - 09 Apr 2026 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-
40018726006833

आवेदक का नाम-
Dripati Devi

विषय-
Regarding the escalation of sections in relation to the incident that occurred with the petitioner during the investigation

विभाग -
पुलिस

शिकायत श्रेणी -
CBCID जांच/विवेचना/केस ट्रांसफर/मुकदमा वापसी

शिकायत की स्थिति -
लंबित

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -
दिनांक को फीडबैक:-

फीडबैक की स्थिति -

फीडबैक पर कार्यवाही-

कार्यवाही दिनांक -

संलग्नक देखें -
Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है।

अग्रसारित विवरण :

क्र.स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	नियत दिनांक	अधिकारी को प्रेषित	आदेश	स्थिति
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	09-04-2026	09-05-2026	वरिष्ठ /पुलिस अधीक्षक-महाराजगंज,पुलिस		अनमार्क